



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांक:-
सेवा में,

24/25 बजट (प्रतिकर भुगतान-रा0से0)/2019-20

दिनांक:- 03.07.2019

✓ अधिशासी अभियन्ता (आहरण एवं वितरण अधिकारी),
प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/रा0रा0मा0 खण्ड
लोक निर्माण विभाग,

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसं0-22, ले0शी0-5054 (पूँजीगत) भू-अर्जन, भूमि प्रतिकर तथा क्षतिप्रतिकर भुगतान मद के अन्तर्गत आवंटन।

सन्दर्भ:- (1) शासनादेश संख्या-1788/111 (2)/19-04 (बजट)/2019 दिनांक-15.04.2019
(2) सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-132/XXVII(6)/430/एक /2008/2019 दि0-29.03.2019
(3) सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-129/XXVII(6)/430/एक /2008/2019 दि0-29.03.2019

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15.04.2019 (क्र0सं0 1) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक- 5054-04-337-04-00-24 (पूँजीगत) भू-अर्जन, भूमि प्रतिकर भुगतान मद के अन्तर्गत प्राविधानित बजट ₹ 30.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तथा सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेशों (क्र0सं0 2 एवं 3) के द्वारा प्रदेश में दि0 01.04.2019 से एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली, आई0एफ0एम0एस0 (IFMS) लागू किये जाने के क्रम में एवं फील्ड अधिकारियों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत सूचित धनावंटन की माँग के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में संलग्न सूची के अनुसार विभागीय अधिशासी अभियन्ताओं/आहरण वितरण अधिकारियों को 37 प्रकरणों में भू-अर्जन, भूमि प्रतिकर तथा क्षतिप्रतिकर भुगतान हेतु प्रकरणवार/खण्डवार कुल ₹ 5.4349606 करोड़ (₹ पांच करोड़ तैतालिस लाख उड़नपचास हजार छः सौ छः मात्र) की धनराशि निम्न वर्णित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

आवंटन की शर्तें (1) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं के द्वारा संलग्न सूची के अनुसार आवंटित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कास्तकारों/पक्षों को दिनांक 29.02.2020 से पूर्व नियमानुसार एवं प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा, किसी भी दशा में आवंटित धनराशि न तो लैप्स की जायेगी और न ही सृजित वित्तीय दायित्व अगले वित्तीय वर्ष हेतु अवशेष रखे जायेंगे।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के द्वारा प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आवंटित धनराशि का प्राविधान सम्बन्धित कार्यों/मार्गों के मूल आगणन में सम्मिलित नहीं था और न ही उक्त प्रतिकर भुगतान हेतु किसी अन्य योजना/मद में सम्बन्धित प्रतिकर भुगतान के लिये वित्तीय उपलब्धता थी।

(3) आवंटित धनराशि का निर्धारित समयान्तर्गत भुगतान न किये जाने, धनराशि लैप्स किये जाने, डुप्लीकेट भुगतान, दरों से अधिक भुगतान तथा नियमविरुद्ध किये गये भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

(4) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

(5) उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों में निहित समस्त शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक 5054 सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-04 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 00-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्न: (1) मार्गवार/कार्यवार आवंटन सूची (4 पृष्ठ)
(2) डी0डी0ओ0 वार निर्गत अलोटमेन्ट आईडी(1नं0)

आई.टी.वर्त

मद को त्रय

संलग्नक विभागीय

वेबसाईट में

Upload किये

जाने के साथ-2

सम्बन्धित अधिशासी

अभियन्ता/प्रमुख

अभियन्ताओं को

ई-मेल की मद

का कष्ट करें।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्या0/रा0रा0मा0/मुख्य अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक कार्या0, लोक निर्माण विभाग.....।
5. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/रा0रा0मा0/वर्ल्ड बैंक वृत्त लोक निर्माण विभाग.....।
6. अधिशासी अभियन्ता विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट को सूचनार्थ एवं अग्रततर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न: डी0डी0ओ0 वार निर्गत अलोटमेन्ट आईडी(1नं0)

3/7/19
(पी0के0 जोशी)
वित्त नियंत्रक,
3.7.2019

वित्त नियंत्रक,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

पत्र संख्या 24/25 बजट (प्रतिकर भुगतान-रा0से0)/2019-20 दिनांक 03/07/2019 का संलग्नक।
 वित्तीय वर्ष 2019-20 में सड़कों तथा सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू-अर्जन एवं क्षति प्रतिकर आदि के भुगतान हेतु प्रस्तावित आवंटन।

अनुदान संख्या- 22,

लेखाशीर्षक 5054-04-337-04-00-24

(पूँजीगत)

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	मार्ग/प्रकरण का नाम	खण्ड का नाम	अनुमोदन/स्वीकृति का संदर्भ	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	जनपद देहरादून में जौलीग्रंट-थानों-रायपुर-सहस्रधारा मोटर मार्ग के किमी० 14.00 में 75.00मी० स्पान, आर०सी०सी० सेतु के निर्माण हेतु अर्जित भूमि का प्रतिकर भुगतान। (कुल अनुमोदित धनराशि रू० 6615000/- खण्ड स्तर पर डिपोजिट में पूर्व से उपलब्ध धनराशि रू० 1379125.00/- खण्ड को अब देय धनराशि रू० 5235875.00)	अ०ख०, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 रा०रा०मा० एवं सेतु (गढ़वाल क्षेत्र) लो०नि०वि०, देहरादून का देहरादून का पत्र सं०-1650/119-रा०मा०-(उ०)/2019दि० 20.06.2019।	5235875.00	5235875.00
2	जनपद टिहरी गढ़वाल में मालदेवता से रंगडगांव गन्धक पानी मोटर मार्ग (किमी० 7.00 तक) के निर्माण कार्य हेतु अध्याप्त भूमि का प्रतिकर भुगतान। (8 काशतकारों की अधिग्रहित भूमि का भुगतान)	अ०ख०, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	अधीक्षण अभियन्ता, 9वें वृत्त लो०नि०वि०, देहरादून का पत्र सं०-552/15(1)सी०-9/19 दि० 15.02.2019	8909250.00	4500000.00
3	जनपद देहरादून में विकास खण्ड डोईवाला के अन्तर्गत इठारना से देवली तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु कास्तकारों से आपसी समझौते के अन्तर्गत भूमि का प्रतिकर भुगतान। (9 पक्ष/काशतकारों की अधिग्रहित भूमि का भुगतान)।	अ०ख०, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	अधीक्षण अभियन्ता, 9वें वृत्त लो०नि०वि०, देहरादून का पत्र सं०-711/15(1)सी०-9/19 दि० 01.03.2019	6648200.00	3500000.00
4	जनपद उत्तरकाशी में धौन्तरी-कमद-अयारखाल-बूढ़ाकेदार मोटर मार्ग के निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त खेतों का प्रतिकर भुगतान।	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०-4570/84सी०-06/2018 दि० 28.02.2019	1327742.00	1327742.00
5	जनपद उत्तरकाशी में उत्तरकाशी-घनसाली-तिलवाड़ा राज्यमार्ग सं०-15 के किमी० 45 के क्रा०से०-44/33-34 से मट्टी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में अध्याप्त भूमि एवं निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त भूमि फसल आदि का प्रतिकर भुगतान।	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०-4571/84सी०-06/2018 दि० 28.02.2019	4175094.00	2000000.00
6	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में बाँगा-भैलूड़ा-अलेथ मोटर मार्ग के किमी० 1 से 4 तक अवशेष भूमि, का प्रतिकर भुगतान।	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, भटवाड़ी	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०-1162/97सी०-06/2019 दि० 27.03.2019	43780.00	43780.00
7	जनपद उत्तरकाशी में छैजुला-कोटधार-तराकोट मोटर मार्ग के निर्माण से श्री मोहन लाल पुत्र श्री कमलु लाल, ग्राम छैजुला के क्षतिग्रस्त पनचक्की का प्रतिकर भुगतान।	नि०ख०, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०-893/90सी०-06/2019 दि० 07.03.2019	15800.00	15800.00
8	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा यमुनोत्री के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत धरासू-पुल से दिखोली अदनी रौतल मोटर मार्ग का विस्तार कार्य में अध्याप्त भूमि का प्रतिकर एवं क्षतिग्रस्त वृक्षों का क्षतिप्रतिकर भुगतान।	नि०ख०, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०-5272/90सी०-06/2018 दि० 26.03.2019	6788046.00	3500000.00
9	जनपद उत्तरकाशी में धरासू-जोगथ मोटर मार्ग के किमी० 01 में श्री राजेन्द्र प्रसाद थपलियाल पुत्र श्री महेशानन्द थपलियाल, भवन स्वामी का प्रतिकर भुगतान।	नि०ख०, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०-1171/90भवन-6/2019 दि० 27.03.2019	414000.00	414000.00
10	जनपद उत्तरकाशी में धरासू-जोगथ मोटर मार्ग के किमी० 01 व 02 में भारी वर्षात एवं मार्ग सुधार के कार्य से क्षतिग्रस्त भूमि का प्रतिकर भुगतान।	नि०ख०, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०-5892/90सी०-06/2018 दि० 26.03.2019	752940.00	752940.00
11	जनपद उत्तरकाशी नौगांव-पौन्टी-राजगढ़ी मोटर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) के किमी० 22.00 में स्कपर बंद होने से श्री रामशरण सेमवाल के क्षतिग्रस्त भवन का प्रतिकर भुगतान।	नि०ख०, लो०नि०वि०, कोट	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०-1434/65सी०-06/2019 दि० 02.04.2019	445000.00	445000.00

2.7.2019

